

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— नरेश कुमार शर्मा  
आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं० 52/2017



रामकरण पुत्र हट्टया जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडोली उप तहसील सैंथल तहसील दौसा  
जिला दौसा ...अपी०

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, सैंथल

...रेस्प०

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.01.2017  
व न्यायालय नायब तहसीलदार, सैंथल

उपस्थित : 1.श्री राम खिलाडी योगी, अधिवक्ता अपीलांत  
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 20.12.17

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, नॉगल राजावतान ने दिनांक 27.01.2017 को ग्राम बडोली उप तहसील सैंथल तहसील दौसा के आ०ख० न० 2623/2,2629,2852/2808 रकबा 0.87 है० किस्म जमीन चरागह पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्प० को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांत को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जांच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। कानूनन अपीलांत को नोटिस जारी या जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है।

अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जाँच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर मौजूद है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में "चना, गेहूँ, जौ" अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही अपीलांट द्वारा वरवक्त न्यायालय में उपस्थित होकर किसी भी चरागाह एवं सिवायचक भूमि कब्जा नहीं होना एवं सिवायचक/चरागाह भूमि से कब्जा हटा लेने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक:20 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)

जिला कलेक्टर, दौसा

